7145

न्यायालय, अंचल अधिकारी, गावां, गिरिडीह।

E-mail ID – cogawan2014@gmail.com, co.gawan@jharkhandmail.gov.in

आदेश फलक

विविद वाद सं. 20/2019–20 राजू मोदी बनाम बजरंगी सिंह

04.8.2021

अभिलेख उपस्थापित/आवेदक राजू मोदी पिता धनेश्वर मोदी, साकिन बिरने, थाना गावां, जिला गिरिडीह के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

राजस्व कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में वर्णित एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों से ज्ञात होता है कि :–

मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
बिरने	329	66	1371	0.02 ए०
			2447	0.03 ए०
			2452	0.08 ए०

सर्वे खतियान में पारस मोदी वगैरह के नाम से रैयती खाते की भूमि दर्ज है। आवेदन पत्र के साथ खाता नं. 66 के लिए पारस मोदी वगैरह के नाम से वर्ष–1344, 1347 एवं 1348 वर्ष फसली के लिए निर्गत जमींदारी रसीद प्रस्तुत किया गया पर रकवा दर्ज नहीं है।

पुनः लगान रसीद नं. 523202 वर्ष–1360–1361 फसली के लिए खाता नं. 66 रकवा 11.01 एकड़ का हीरो मोदी के नाम प्रस्तुत किया गया।

राजस्व कर्मचारी के जाँच के क्रम में द्वितीय पक्ष श्री नारायण सिंह के वारीस श्री बजरंगी सिंह साकिन बिरने ने अनिबंधित हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें ज्ञात होता है कि मौजा–बिरने, थाना नं. 329, खाता नं. 66, प्लॉट नं. 1371 रकवा 0.02 ए० भूमि अनिबंधित बिक्रीनामा दिनांक 17.06.2019 द्वारा शोमन मोहर वो पारस मोहर, पेशरान बिहारी मोहर में बनारस सिंह वल्द बनवारी सिंह को प्राप्त है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन/थाना प्रभारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन किया गया, जिसमें प्रथम पक्ष के राजू मोदी के वंशज से खरीदा गया है एवं बजरंगी सिंह का 70 वर्ष पुराना घर है, तदनुसार लगान रसीद निर्गत है।

अतः आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, उभय पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

04/08/2021

अंचल अधिकारी,
गावां।

लेखापित एवं संसोधित

Digitally signed by Mahendra Rabidas
Date: 2023.01.12 17:07:34 +05:30
Location: 192.168.247.76

04/08/21

अंचल अधिकारी,
गावां।